कार्यालय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, काला दरवाज़ा, भोपाल – 462001
फोन : 2737341, 2543175, फैक्स : 0755–2543171

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

विषयः जिला/तहसील वक्फ कमेटी के तशकील (गठन) के लिए दरख्वास्त

म.प्र. राज्य के जिले/तहसील में स्थित वक्फ सम्पत्तियों एवं प्रबंध समितियों की निगरानी हेतु जिला/तहसील वक्फ कमेटी जिला/तहसील .... की तशकील हेतु प्रस्ताव पेश करते हैं। हमने वक्फ एक्ट एवं नियमावली तथा जिला वक्फ कमेटी विनियम 1970 का अध्ययन कर लिया है तथा हम एक्ट, नियमों, जिला वक्फ कमेटी विनियम 1970 एवं वक्फ बोर्ड के निर्देशों के तहत उक्त जिले के अंतर्गत वक्फ सम्पत्तियों एवं प्रबंध समितियों के संरक्षण के लिए कार्य करने तत्पर हैं।

इस तशकील फार्म के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथपूर्वक घोषणा पत्र संलग्न है।

कृपया निम्न जिला/तहसील वक्फ कमेटी के विधिवत कार्य करने के आदेश जारी करने का कष्ट करें। जिला/तहसील वक्फ कमेटी की जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. पूर्व जिला/तहसील वक्फ कमेटी सदर का नाम :
2. पूर्व जिला/तहसील वक्फ कमेटी की अवधि खत्म होने की दिनांक :

इस जिला/तहसील वक्फ कमेटी के इंतेज़ाम के लिए प्रस्तावित कमेटी की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रस्तावित सदस्य का नाम मय वल्दियत	प्रस्तावित ओहदा मय–उम्र	नमूना हस्ताक्षर	निवास स्थान का पूरा पता एवं फोन नं. या मोबाईल नं.	निजी सम्पत्ति का विवरण

शपथ पत्र

हम शपथपूर्वक कथन करते हैं कि उपरोक्त वर्णित हम समस्त प्रस्तावकों द्वारा जिला वक्फ कमेटी गठन के इस प्रस्ताव के पक्ष में वक्फ बोर्ड के अनुमोदित प्रारूप अनुसार जो शपथपूर्वक घोषणा पत्र संलग्न किए गए हैं। हम उन शपथपूर्वक घोषणा पत्रों बिन्दु क्र. 1 से लगायत 13 तक समस्त कंडिकाओं का पालन करने का वचन देते हैं। हम शपथपूर्वक यह भी कथन करते हैं कि उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव अनुसार यदि वक्फ बोर्ड द्वारा जिला वक्फ कमेटी का गठन किया जाता है तो **जिला/तहसील वक्फ कमेटी गठन आदेश के परिशिष्ट–1 '' कार्यप्रणाली एवं शर्ते''** जो कि वक्फ बोर्ड की वेबवाइट से हमे प्राप्त हुई हैं कि समस्त कंडिकाओं का हम पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देते हैं।

स्थान :

दिनांक :

प्रस्तावित सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1) .... 2) .... 3) ....

4) .... 5) .... 6) ....

7) .... 8) .... 9) ....

10) .... 11) .... 12) ....

13) .... 14) .... 15) ....

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा. क. /जि.व.क............./2023/ दिनांक

::–जिला /तहसील वक्फ कमेटी आदेश का परिशिष्ट 1–::

//कार्यप्रणाली एवं शर्तें//

1. **जिला वक्फ कमेटी विनियम 1970** (रेग्यूलेशन फाॅर डिस्ट्रीक्ट वक्फ कमेटीस) के प्रावधान अनुसार जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी में अधिक्तम 15 सदस्य हो सकते हैं।
2. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी के कार्यालय पर लगाये जाने वाले बोर्ड पर कार्यालय जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी जिला/तहसील ....
. इसके नीचे कार्यालय का पता एवं अध्यक्ष और सचिव का नाम एवं मोबाईल नंबर रहेगा। यह बोर्ड कम से कम 2X3 वर्गफिट का होगा।
3. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य अपने घरों, अपने वाहनों की नामपट्टीका एवं अपनी स्टेशनरी जैसे लेटर हेड, रसीद बुक पर जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी .... का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में **जिला/तहसील वक्फ बोर्ड या म.प्र. वक्फ बोर्ड शब्द का उपयोग नही करेंगे।**
4. जिला वक़्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी के समस्त पदाधिकारी **जिला वक्फ कमेटी विनियम 1970** (रेग्यूलेशन फाॅर डिस्ट्रीक्ट वक्फ कमेटीस) एवं वक्फ अधिनियम का अध्ययन करें एवं पालन सुनिश्चित करे।
5. जिला वक़्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी जिले/तहसील की समस्त वक्फ प्रबंध कमेटियों से वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 का पालन कराना सुनिश्चित करें।
6. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की समस्त प्रबंध समितियों द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 51 के तहत बिना बोर्ड की स्वीकृति के किसी भी वक्फ संपत्ति को रहन, बय, हिबा, हस्तांतरित या लीज़ पर नहीं दिया जावे।

7. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ संपत्तियों पर यदि अवैध कब्जा हो तो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के अंतर्गत संबंधित वक्फ प्रबंध समिति द्वारा तुरंत प्रकरण दर्ज कराया जावे।

8. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ प्रबंध समितियों द्वारा बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के वक्फ अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत वक्फ की आय में से किसी को न तो कर्ज दिया जावे और न ही कर्ज लिया जावे।

9. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ प्रबंध समितियों द्वारा वक्फ बोर्ड की बिना अनुमति के कमेटी के अधिपत्य में उपलब्ध कोई भी वक्फ सम्पत्ति किसी भी तरह से किसी एजेन्सी, व्यक्ति आदि को विक्रय नही की जावे।

10. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ प्रबंध समिति बिना वक्फ बोर्ड क अनुमति के वक्फ अधिनियम की धारा 93 के तहत वक्फ से संबंधित किसी वाद में बिना बोर्ड अनुमति के समझौता नही करे। सिविल न्यायालयीन विवाद होने पर वक्फ बोर्ड की ओर से भी स्वीकृति पश्चात प्रतिरक्षण किया जावे।

11. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ प्रबंध समितियों द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण अथवा कार्यवाही की जाना अनिवार्य है तो वक्फ की सुरक्षा एवं न्यायालय में वक्फ की ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने से पूर्व वक्फ बोर्ड से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जावे।

12. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ प्रबंध समितियों द्वारा वक्फ सम्पत्ति में हुए स्थाई निर्माण कार्य तथा विकास कार्य आदि की प्रविष्टी वक्फ बोर्ड में एवं स्थानीय निकाय/राजस्व अभिलेखों में तुरंत कराई जाए तथा बिना वक्फ बोर्ड एवं स्थानीय निकाय की अनुमति कोई निर्माण न किया जावे।

13. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ प्रबंध समितियों के अधिपत्य में आने वाली ऐसी समस्त सम्पत्तियॉ जो वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में विधिवत पंजीकृत नही है को प्राथमिकता के आधार पर शासकीय राजस्व अभिलेखों में वक्फ बोर्ड के पक्ष में दाखिल खारिज कराया जाकर वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में पंजीकृत कराएं।

14. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ प्रबंध समितियों के अधिपत्य में आने वाली समस्त सम्पत्तियों पर सी.सी.टी.वी. मय साउण्ड रिकार्डिंग सिस्टम जिसमें कि 15 दिवस की रिकार्डिंग सेव रहने की सुविधा हो यथा संभव स्थापित की जाये तथा इसकी लिखित सूचना जिला कलेक्टर, क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय पुलिस थाने को दी जावे।

15. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की वक्फ प्रबंध समितियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ऐसी समस्त सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्री वाल/फैंसिंग आदि की व्यवस्था कराई जावे जहॉ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता हो। इस हेतु इस पर होने वाले व्यय की वित्तीय व्यवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निधि एवं जनसहयोग आदि से कराई जावे।

16. यदि जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी का कोई पदाधिकारी इस्तीफा देता है तो तत्काल इसकी सूचना दी जावे।

17. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की समस्त वक्फ प्रबंध समितियों द्वारा वक्फ भूमि का रिकार्ड दुरूस्ती पश्चात सीमांकन करवाकर यथासंभव उस की हदबन्दी की कार्यवाही की जावे। वक्फ सम्पत्ति पर कमेटी/मुतवल्ली का नाम राजस्व अभिलेखों में किसी भी हाल में दर्ज न किया जावे केवल **लाल स्याही से ''म.प्र. वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय''** ही दर्ज हो **तथा बंदोबस्त उपरांत पुराने खसरे जो नये खसरों में तब्दील हो गए हों उनकी भी दाखिल खारिज की कार्यवाही करायें।** यदि पूर्व में मुतवल्ली दर्ज हो तो फौरन रिकार्ड संशोधन की कार्यवाही की जावे। वक्फ सम्पत्ति का नकशा (ब्लू प्रिन्ट) पटवारी रिकार्ड की सत्यापित प्रति तथा वर्तमान फोटाग्राफ दिनांक डाल कर वक्फ बोर्ड को प्रेषित किया जाए।

18. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की समस्त वक्फ प्रबंध समितियों द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर एक बोर्ड लगवाया जावे जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप को हरे रंग पर सफेद पेन्ट से लिखवाया जाये। बोर्ड 3**X**2 साईज़ का होगा। जिसमें

1	राजिस्ट्रेशन न. क्र.		2	वक्फ का नाम	
3	वाकि़फ की मंशा		4	वक्फ सम्पत्ति का विवरण।	

19. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की समस्त वक्फ प्रबंध समितियों द्वारा मस्जिद के मामले में किसी व्यक्ति या समूह को नमाज पढ़ने से न रोका जावे तथा अपने अपने मसलक के अनुसार शांति से नमाज अदा की जाए। अन्यथा की स्थिति में जिला वक्फ कमेटी द्वारा संबंधित वक्फ प्रबंध कमेटी को भंग करने तथा संबंधित वक्फ कमेटी के विरूद्ध क्रिमिनल प्रकरण की कार्यवाही करने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित वक्फ बोर्ड को प्रेषित किया जावे।

20. जिला वक्फ कमेटी/तहसील वक्फ कमेटी सुनिश्चित करे कि इस जिले/तहसील की समस्त वक्फ प्रबंध समितियॉ, बोर्ड द्वारा चाही गई सारी जानकारियों/हिसाब निर्धारित समयावधि में वक्फ बोर्ड को प्रेषित करें।

21. यह कमेटी निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात काम चलाऊ (केयरटेकर) के रूप में केवल सामान्य दैनिक कामकाज को सुचारू रूप से क्रियान्वित करेगी। नई कमेटी गठन होने पर यह काम चलाऊ (केयरटेकर) कमेटी नई कमेटी को सम्पूर्ण कार्यभार विधिवत सौंप देगी।

22. इस आदेश से गठित कमेटी के अध्यक्ष एवं कमेटी सदस्यों द्वारा इस आदेश में उल्लेखित शर्तों एवं निर्देशों तथा कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शपथपूर्वक घोषणाओं का पालन न करने अथवा शपथपूर्वक घोषणा पत्र द्वारा घोषित घोषणाओं के विपरीत कार्यवाही करते हैं तो **जिला वक्फ कमेटी विनियम 1970** (रेग्यूलेशन फारॅ डिस्ट्रीक्ट वक्फ कमेटीस) के प्रावधानों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 एवं 409 के प्रावधानों के अंतर्गत कमेटी के समस्त पदाधिकारियों के विरूद्ध कानूनी एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं कमेटी से पृथक करने के लिए स्वतंत्र होगा।

वास्ते म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला/तहसील वक्फ कमेटी हेतु शपथ–पत्र

(यह केवल शपथ पत्र का प्रारूप है प्रत्येक प्रस्तावित सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस प्रारूप को 50/– रूपये के स्टाम्प पर टाईप कराकर तशकील फार्म के साथ जमा करें)

शपथ–पत्र

मैं...आत्मज..आयु...................
निवासीः मकान नं .... मोहल्ला ....
पुलिस स्टेशन ....तहसील .... जिला ....
पिनकोड ....मोब नं. .... ई–मेल..
शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–

1 यह कि अल्लाह पाक परवरदिगार के नाम से कायम जिले की वक्फ सम्पत्तियों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु जिला वक्फ कमेटी .... में .... के पद की जिम्मेदारियाँ उठाने ओर पूरी ईमानदारी से अंजाम देने के लिए काम करने के लिए मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2 मेरे समक्ष यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड द्वारा यह जिला/तहसील वक्फ कमेटी वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 18(1)(2) के प्रावधान अनुसार वक्फ बोर्ड को प्राप्त शक्तियों के आधार पर गठित की जायेगी। इस जिला वक्फ कमेटी का गठन, गठन आदेश में उल्लेखित निर्धारित अवधि के लिए है तथा इस कमेटी में सदैव बने रहना मेरा अधिकार नही है।

3 मैं वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता हूँ कि अगर मैं जिला/तहसील वक्फ कमेटी विनियम 1970 (रेग्यूलेशन फाॅर डिस्ट्रीक्ट वक्फ कमेटीस) के प्रावधानों एवं वक्फ बोर्ड के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना करूं तो वक्फ बोर्ड मेरे विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

4 यह कि वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ कमेटी गठन आदेश (प्रारूप) से संलग्न परिशिष्ट–1 ''कार्यप्रणाली एवं शर्तें'' बिन्दु क्र. 01 से लगायत 22 जो जिला वक्फ कमेटी गठन आदेश का भाग हैं। जो मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर दर्शित है एवं सूचना पटल पर चस्पा है का अध्ययन मेरे द्वारा किया गया है, कमेटी का गठन हमारे प्रस्ताव अनुसार होने पर इनका पालन मेरे द्वारा पूर्ण रूप से किया जावेगा। अन्यथा की स्थिति में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक, वैधानिक, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों एवं भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5 मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ किः–

5(1) कि मैं किसी अन्य वक्फ कमेटी में सदस्य या पदाधिकारी के रूप में सम्मिलित नहीं हूँ।

5(2) कि मेरे द्वारा किसी वक्फ संपत्ति पर अवैध रूप से अतिक्रमण नही किया गया है।

5(3) कि मैं किसी वक्फ की दुकान, मकान, इमारत या ज़मीन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किरायेदार नहीं हूँ।

5(4) कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक/नैतिक पतन का प्रकरण नहीं चल रहा है।

5(5) कि मुझे किसी भी जुर्म के विरूद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नही किया गया है।

5(6) कि मुझे किसी भी वक्फ के मुतवल्ली के पद या कमेटी की सदस्यता से पूर्व में कभी भी निष्कासित नहीं किया गया है।

5(7) कि मैं मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ्य हूँ तथा कि मुझे कभी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त (पागल) घोषित नही किया गया है।

5(8) कि मैं स्वयं (स्वघोषित) के द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकृत विधिक एजेन्सी अथवा न्यायालय द्वारा कभी भी दीवालिया घोषित नहीं किया गया हूँ।

6 यह कि इस जिले/तहसील के अंतर्गत समस्त प्रबंध समितियों द्वारा वक्फ सम्पत्तियों में कराए गए स्थाई निर्माण कार्य तथा विकास कार्य आदि की निगरानी मेरे द्वारा की जाएगी एवं उक्त निर्माण एवं विकास कार्य की प्रविष्टी वक्फ बोर्ड में एवं स्थानीय निकाय/राजस्व अभिलेखों में कराई गई है अथवा नही की एवं बगैर बोर्ड एवं स्थानीय निकायों की अनुमति के कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाये इसको सुनिश्चित किया जाएगा।

7 कि यदि कमेटी का कोई पदाधिकारी इस्तीफा देता है तो तत्काल इसकी सूचना मेरे द्वारा वक्फ बोर्ड को दी जावेगी।

8 कि बोर्ड द्वारा प्रबंध कमेटियों एवं वकिफया सम्पत्तियों के संबंध में चाही गई समस्त जानकारियाँ निर्धारित समयावधि में बोर्ड को प्रस्तुत की जावेंगी।

9 यह कि वक्फ बोर्ड द्वारा इस कमेटी का गठन किए जाने की स्थिति में कमेटी गठन आदेश में निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व यदि किन्ही कारणों से कमेटी को अतिष्ठित किया जाता है तो हमारी जिला/तहसील वक्फ कमेटी स्वतः समाप्त हो जावेगी एवं हमे इस पर कोई आपत्ति नही होगी तथा वक्फ बोर्ड का आदेश मेरे लिए स्वीकार्य होगा।

10 यह कि वक्फ बोर्ड द्वारा इस जिला/तहसील वक्फ कमेटी का गठन किए जाने की स्थिति में कमेटी गठन आदेश में निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने पश्चात मेरे–हमारे अलावा किसी अन्य की जिला/तहसील वक्फ कमेटी गठित की जाती है तो मैं नवगठित कमेटी को तीन दिवस में चार्ज सौंपकर कार्यालय वक्फ बोर्ड को सूचित करूंगा। यदि मेरे द्वारा नवगठित जिला/तहसील वक्फ कमेटी को चार्ज देने में विलंब या हीला हवाला किया जाता है, तो मेरे इस कृत्य को बोर्ड के आदेशों की अवहेलना तथा अमानत में ख्यानत मानते हुए मेरे–हमारे विरूद्ध वक्फ बोर्ड अनुशासनात्मक, वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। वक्फ बोर्ड की इस कार्यवाही पर मुझे–हमे कोई आपत्ति नही होगी।

11 यह कि मैं जिले/तहसील में स्थित वक्फ सम्पत्तियों की बोर्ड द्वारा नवगठित प्रबंध समितियों को पूर्व गठित प्रबंध समितियों से चार्ज दिलाने में पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा।

12 यह कि मैं जिला/तहसील के अन्तर्गत आने वाली सभी वक्फ सम्पत्तियों का समय–समय पर निरिक्षण करूंगा तथा वक्फ स्थल पर सूचना पटल भी लगवाया जाना सुनिश्चित करूंगा।

13 यदि पूर्व गठित कमेटी कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात नवगठित कमेटी को वक्फ प्रभार नही सौंपती है तो मैं उसके विरूद्ध की जाने वाली समस्त वैधानिक कार्यवाहियों में बोर्ड का सहयोग करूंगा एवं बोर्ड के निर्देशानुसार कार्यवाही करूंगा।

यह कि उपरोक्त घोषणाऐं मैं अपने पूरे होश व हवास में तथा उपरोक्त वर्णित क्र. 01 से लगायत 13 तक घोषणाओं को पढ़ सुनकर तथा समझकर घोषित करता हूॅ तथा यह भी घोषित करता हूॅ कि उपरोक्त घोषणाओं में मेरे द्वारा कोई जानकारी नही छुपाई गई है और न ही कोई गलत जानकारी दी गई है। यदि उपरोक्त घोषणाओं में कोई जानकारी गलत पाई जाती है या मैं इस घोषणा पत्र द्वारा घोषित घोषणाओं के विपरीत कार्यवाही करता हूॅ तो उपरोक्त कंडिकाओं अनुसार वक्फ बोर्ड मेरे विरूद्ध वक्फ अधिनियम के प्रावधानों एवं कानूनी तथा दण्डात्मक कार्यवाही करने और मुझे कमेटी से पृथक करने के लिये स्वतंत्र होगा। जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

गवाह 1. .... ( )

2. .... **शपथकर्ता**

सत्यापन

मैं शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि चरण क. 01 से लगायत 13 की जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के आधार पर सत्य एवं सही है।

यह सत्यापन आज दिनांक .... को .... में किया गया।

शपथकर्ता